बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
कार्यालय आदेश

का०आ०सं०:- 446035/ पटना, दिनांक:- 12/08/2025

ग्रा०वि०-16(विविध)-02/2025

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-3277 दिनांक-26.02.2013 द्वारा रिट याचिका (क्रिमिनल) संख्या-666-70/1992-विशाका एवं अन्य बनाम् राजस्थान राज्य एवं अन्य में दिनांक-13.08.1997 को पारित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न को रोकने तथा उसके संबंध में प्राप्त शिकायतों के निष्पादन हेतु प्रत्येक विभाग एवं विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों में महिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में एक परिवाद समिति का गठन करने का निर्णय लिया गया है।

तदनुसार कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम 2013 के अनुरूप आंतरिक परिवाद समिति के गठन हेतु विभागीय कार्यालय आदेश संख्या-1985433 दिनांक-11.08.2023 द्वारा गठित परिवाद निवारण समिति में संशोधन करते हुए ग्रामीण विकास विभाग में कार्यरत महिला कर्मियों के यौन उत्पीड़न रोकने एवं तत्संबंधी शिकायतों/परिवादों के निष्पादन के लिए श्रीमती रेणु कुमारी, विशेष कार्य पदाधिकारी की अध्यक्षता में **आंतरिक परिवाद समिति** का तात्कालिक प्रभाव से निम्नानुसार पुनर्गठन किया जाता है:-

(i)	श्रीमती रेणु कुमारी, विशेष कार्य पदाधिकारी	-	**अध्यक्ष**
(ii)	श्री प्रमोद कुमार राम, अवर सचिव	-	**सदस्य**
(iii)	श्री संजीत कुमार सिन्हा, प्रशाखा पदाधिकारी	-	**सदस्य**
(iv)	श्रीमती अनीता कुमारी, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी	-	**सदस्य**
(v)	श्रीमती अन्नु कुमारी, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी	-	**सदस्य**
(vi)	श्रीमती सुधा वर्गीज, नारी गुंजन (गैर सरकारी संगठन)	-	**बाह्य सदस्य**

2. उक्त समिति का कार्यकाल अगले आदेश तक रहेगा ।

3. उक्त समिति, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उक्त आदेश में दिये गये दिशा-निर्देश एवं उक्त अधिनियम का अनुपालन करने तथा यौन उत्पीड़न संबंधी शिकायतों के निराकरण के लिए कारगर कार्रवाई सुनिश्चित करेगी ।

4. उक्त समिति कार्यस्थलों में यौन उत्पीड़न संबंधी आचरणों, चाहे ऐसा आचरण किसी कानून के तहत अपराध हो या सेवा नियमावली का उल्लंघन के कारणों से उद्भूत शिकायतों के समुचित और कालबद्ध निष्पादन की व्यवस्था सुनिश्चित करेगी ।

5. यह समिति प्राप्त शिकायतों पर उनके द्वारा कृत कार्रवाई संबंधी प्रतिवेदन विभाग को समर्पित करेगी ।

6. उक्त समिति की बैठक प्रत्येक माह में एक बार अवश्य होगी, किन्तु समिति के अध्यक्ष आवश्यकतानुसार कभी भी समिति की बैठक बुला सकेंगे ।

7. **इसमें सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।**

12/8/25

(खुर्शीद आलम)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांकः- 446035/ दिनांक- 12/08/2025

प्रतिलिपिः- समिति के अध्यक्ष/सभी सदस्य/ विभाग के सभी पदाधिकारी/कर्मी, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांकः- 446035/ दिनांक- 12/08/2025

प्रतिलिपिः- प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना एवं प्रबंध निदेशक, महिला एवं बाल विकास निगम, बिहार (दरोगा राय पथ, रोड नं0-2), बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांकः- 446035/ दिनांक- 12/08/2025

प्रतिलिपिः- सचिव के प्रधान आप्त सचिव एवं माननीय मंत्री के आप्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांकः- 446035/ दिनांक- 12/08/2025

प्रतिलिपिः- आई0टी0 प्रबंधक, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव